आज दिनांक 23.05.2009 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की **75वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष डा0 उमाकान्त पंवार की** अध्यक्षता में **सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति** है।

1. डा0 उमाकान्त पंवार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2. श्री आर0मीनाक्षी सुन्दरम्,अपर सचिव, आवास/उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।	सदस्य
3 श्री एम0सी0जोशी,अपर सचिव, वित्त,उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4. श्री यू0सी0कबड़वाल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन,	प्रतिनिधि सदस्य
5. श्री सुशील कुमार, मुख्य नगर अधिकारी,देहरादून	सदस्य
6. बृज बी0रतन, मुख्य सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल	सदस्य
7. अधीक्षण अभियंता, पेयजल निगम,देहरादून	सदस्य
8. डा0 उदय सिंह पुण्डीर, पार्षद, नगर निगम	नामित सदस्य
9. श्री सुशील गुप्ता, पार्षद, नगर निगम	नामित सदस्य

विशेष आमंत्रीः—

1. श्री युगल किशोर पंत, सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. प्रभागीय वनाधिकारी,मसूरी।

अन्य उपस्थितिः—

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
3. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
4. नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5. अनुसचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।

प्राधिकरण की 75 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.05.09 की कार्यवाही

सर्वप्रथम पूर्व 74वी बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा पढ़ी गयी जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यदि बोर्ड के किसी सदस्य के कोई सुझाव प्राप्त होते है तो उसका संज्ञान अग्रिम बोर्ड बैठक मे अवश्य लिया जाना चाहिए तथा बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि भी अवश्य करवाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड बैठक का एजेण्डा बनाये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की होती है इसलिए सचिव को अपने निर्देशन में एजेण्डा तैयार करवाना चाहिए। इसके पश्चात् अनुपालन आख्या के बिन्दु 6,9,19, 25 व 36 पर बिचार विमर्श किया गया जिसपर निम्न प्रकार से निर्णय लिया गया:—

विषय कमांकः 6 — मानिचत्र संख्या सी—0003/08—09 सम्पत्ति संख्या 6, कास रोड की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23.05.2009 मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय कमांकः 9 — माननीय उच्च न्यायालय, में प्राधिकरण के वादो की प्रभावी पैरवी हेतु अधिवक्ताओ के पैनल विस्तार के सम्बन्ध में।

माननीय उच्च न्यायालय, में प्राधिकरण के वादो की प्रभावी पैरवी हेतु अधिवक्ताओ के पैनल विस्तार के सम्बन्ध में सुश्री पूजा बंगा, श्री देवेन्द्र सिंह पाटनी द्वारा श्री ललित सिंह सामंत एवं श्री आलोक सिंह अधिवक्तागण को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.02.2009 के कम में प्राधिकरण पैनल मे रखा गया। उक्त प्रस्ताव का अवलोकन बोर्ड द्वारा कर सहमति प्रदान की गयी एवं यह निर्देश दिये गये कि भविष्य में इनपैनलमेंट करने हेतु एक नीति बनाई जाये जो तार्किक (Logical) एवं Work and worth evaluation पर आधारित हो।

विषय कमांकः 19 — आंबटी श्री अवरार अहमद पुत्र श्री लतीफ अहमद को आवंटित भवन संख्या 04 आश्रय योजना लोहियापुरम में किस्तो को कम से कम करने एवं दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

आवेदिका बोर्ड के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित हुई। विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि आवेदक को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओ एवं मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि प्राप्त करने हेतु कहा

जाये। जिस हेतु तीन माह का समय अनुमन्य करते हुए आवेदिका की देयताओं को स्थगित रखा जाये। यदि राहत कोष से कोई सहायता नही मिलती है तो प्रस्ताव अग्रिम बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांकः 25 अजबपुर कलॉ आवासीय योजना में रिक्त 11 दुर्बल आय वर्ग के भवनो की कीमत फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि समस्त रिक्त भवनो को 74वी बोर्ड बैठक के निर्णय के कम में फ्रीजड कास्टिंग के अनुसार विकय किये जाने की कार्यवाही की जाये।

विषय कमांकः 36 टिहरी बॉध परियोजना से प्रभावित परिवारो को जनपद देहरादून मे विभिन्न स्थानो पर आंवटित कृषि/आवासीय कालोनियो मे किये गये अवैध निर्माणो के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि इस कार्य हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया जाता है कि टिहरी बॉध परियोजना से प्रभावित परिवारो को आवंटित कृषि एवं आवासीय भूमि में बने अवैध निर्माणो के विरूद्व कार्यवाही अपने स्तर से करें एवं कृत कार्यवाही से बोर्ड को 03 सप्ताह के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

75 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.05.2009 की कार्यवाही

विषय कमांक 1 :– प्राधिकरण का वर्ष 2008–09 का पुनरीक्षित एवं वास्तविक तथा वर्ष 2009–10 का प्रस्तावित बजट

बजट पर विचार विमर्श किया गया एवं प्राधिकरण का वर्ष 2008–2009 एवं वर्ष 2009–2010 का प्रस्तावित बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि बजट में कही पर भी पेज नम्बर नही डाले गये अतएव अग्रिम बजट पर पेज नम्बर अवश्य अंकित किये जाये और बजट का प्रस्तुतीकरण भी किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि आय–व्यय के बारे में एक ब्रीफ नोट भी अवश्य आना चाहिए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक मद की आय

को तथ्यामक आख्या सहित संलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त **वित्तीय वर्ष 2009–2010** आय–व्ययक **हेतु मदवार व्याख्यात्मक टिप्पणी के क बिन्दु 01** के सम्बन्ध में **वेतन एवं भत्तो में** दैनिक वेतन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तथा वेतन के साथ अनुमन्य सभी भत्तो के भुगतान पर अपर सचिव, वित्त द्वारा टिप्पणी दी गयी कि उक्त कर्मचारियों को किस कोर्ट के आदेश के तहत भुगतान किया जा रहा है? इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इसका विस्तृत विवरण एक माह के अन्दर उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 2 :– देहरादून महायोजना 2025 में निर्धारित जोन्स के जोनल डेवलपमेंट प्लान आउट सोर्सिंग से बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून महायोजना 2025 मे निर्धारित 11 जोन्स में से 08 जोन्स का जोनल डेवलपमेट प्लान प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सर्वसम्मत्ति एवं कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। बोर्ड के समक्ष जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने सम्बन्धी इन्फोटैक एन्टरप्राइजेज लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अब तक की प्रगति का प्रैजेन्टेशन भी दिया गया जिस पर बोर्ड ने संतोष व्यक्त करते हुए जोनल डेवलपमेंट प्लान निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

विषय कमांक 3:– मसूरी पालिका क्षेत्रान्तर्गत वन भूमि/गैर वन भूमि का चिन्हीकरण, **सर्वेक्षण एवं सीमाकंन कार्य के सम्बन्ध मे।**

उक्त सर्वे का कार्य पूर्व मे सर्वे आफ इण्डिया द्वारा किया जा रहा था, इस कार्य हेतु इनके द्वारा 48,59,800/– की मांग की गयी थी। उक्त धनराशि को 50–50 प्रतिशत समान रूप से वन विभाग एवं एम0डी0डी0ए0 द्वारा वहन करना था। वन विभाग द्वारा अपने हिस्से का 50 प्रतिशत का भुगतान प्राधिकरण को किया जा चुका है परन्तु वर्तमान मे उक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु सर्वे आफ इण्डिया द्वारा 82 लाख रूपये का आगणन प्रस्तुत किया गया है साथ ही उनके द्वारा यह अवगत कराया है कि यह कार्य वह सितम्बर 2009 से पूर्व प्रारम्भ नही कर सकते है। इस क्रम मे विस्तृत विचार विमर्श के दौरान यह संज्ञान मे आया है कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा निर्गत निर्देशो को पूर्ण रूप से सर्वे कार्य मे सम्मिलित करते है तो सर्वे आफ इण्डिया द्वारा उक्त आगणन 82 लाख मे भी सर्वे आफ इण्डिया द्वारा करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है। चूकि सर्वे का कार्य काफी महत्वपूर्ण है। अतः इस बिन्दु पर प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23.05.2009 मे यह निर्णय लिया गया कि उक्त सर्वे का कार्य टेण्डर प्रकिया के माध्यम से अन्य संस्थाओ से कराया जाये तथा

टेण्डर के लिए उपयुक्त (टोर व स्कोप आफ वर्क) तैयार करते हुए टेण्डर प्रपत्र तैयार करने के आदेश दिये गये है, साथ ही उक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु डी0एफ0ओ0 मसूरी व ई0ओ0 नगर पालिका परिषद मसूरी को सहयोगी सदस्य के रूप में सम्मिलित करने के आदेश दिये गये है।

विषय कंमाक 4 :— मसूरी क्षेत्र के अन्तर्गत लण्डौर क्षेत्र में जीर्ण—क्षीर्ण भवनो के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में।

मसूरी क्षेत्र के अर्न्तगत लण्डौर क्षेत्र में स्थित जीर्ण क्षीर्ण पूर्व निर्मित भवनो को स्वीकृत 11 मीटर ऊचाई से अधिक जितनी ऊचाई मे वर्तमान मे निर्मित है, के पुनः निर्माण की स्वीकृति शासन से प्राप्त करने की दिशा मे उक्त बिन्दु पर प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 23.05.2009 मे विचार विमर्श किया गया था जिसके सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम उक्त स्थल का सर्वे किया जाये तथा प्रत्येक भवन की सम्पूर्ण अवस्था (मंजिलो की संख्या भवन की कुल ऊचाई, भवन का निर्माण वर्ष) का विवरण एकत्रित किया जाये तथा आई आई टी रूड़की से उक्त स्थल की जॉच इस आशय से की जाये कि क्या उक्त स्थल 11 मीटर से अधिक ऊचाई के भवनो के लिए उपयुक्त है।

विषय कंमाक 5 :— डिफेन्स कालोनी के निकट स्थित तालाब को वाटर पार्क/पर्यटन स्थल को गौरा देवी जल कीड़ा उद्यान के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में।

उक्त के सम्बन्ध में कन्सलटैन्ट आर्किटैक्ट श्री पंजवानी द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। विचार विमर्श के दौरान डिफेन्स कालोनी के निकट स्थित तालाब को गौरा देवी जल कीड़ा उद्यान के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त योजना का रेवन्यू माडल भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। इस कार्य हेतु नगर निमग एवं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अपने संसाधनो से सहभागिता के आधार पर गौरा देवी वाटर पार्क विकसित किया जाये।

विषय कमांक 6 :— डिस्पेन्सरी रोड स्थित पशुचिकित्सालय की भूमि पर पार्किंग/ व्यवसायिक योजना एवं ट्रान्सपोर्ट नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत पशुचिकित्सालय हेतु भवन एवं शेष भूमि में आवश्यकतानुसार ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के गल्टीस्टोरी भवनो के निर्माण के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान डिस्पेन्सरी रोड स्थित पशुचिकित्सालय की भूमि पर पार्किंग एवं ट्रान्सपोर्ट नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत पशुचिकित्सालय हेतु भवन एवं शेष भूमि में आवश्यकतानुसार ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के मल्टीस्टोरी भवनो के निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 7 :— 1/8 लक्ष्मी रोड परिसर में बैंक्वेट हाट संचालित किये जाने के **सम्बन्ध में।**

विचार विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाये कि गैस गोदाम को अन्यत्र शिफट किया जायेगा एवं यदि भवन उपविधि के अनुसार मानक पूरे होते है तो मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाये।

विषय कमांक 8 :—मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 12 प्रीतम रोड स्थित कार्यालय **को सहारनपुर रोड पर निर्माणाधीन कामर्शियल** काम्पलैक्स/ **कार्यालय भवन में स्थानान्तरित किये जाने एवं इस** 12 प्रीतम रोड **की भूमि पर एपार्टमेन्ट का निर्माण किये जाने के** सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर श्री कोठारी आर्किटैक्ट द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। विचार विमर्श के दौरान प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में विशेष आमंत्री सचिव, साडा द्वारा सहारनपुर रोड स्थित प्राधिकारण के निर्माणाधीन कार्यालय भवन मे एक तल साडा कार्यालय हेतु दिये जाने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध मे अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपलब्धता के आधार पर साडा को एक तल कार्यालय भवन हेतु विकय किये जाने पर विचार कर लिया जाये।

विषय कमांक 9 :— श्री अभिनव बिन्द्रा एण्ड होटल प्रा0लि0 द्वारा खसरा नम्बर 413 **क,414 च व 47 मौजा मोहकमपुर खुर्द हरिद्वार रोड** देहरादून मे **पंच सितारा होटल की अनुमति के सम्बन्ध में।**

विचार विमर्श के दौरान प्रस्तावित होटल निर्माण,जो आवासीय भू–उपयोग के अर्न्तगत है, में बोर्ड द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति देते हुए निर्देश दिये गये कि नगर नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तावित मानचित्र के सम्बन्ध में जो सुझाव/मानक बताये गये है, उनको 7

पूरा करते हुए मानचित्र स्वीकृत किया जाये एवं तदानुसार बोर्ड की आगामी बैठक मे अवगत कराया जायैं ।

विषय कमांक 10 :– उच्च आय वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत निर्मित भवनों को नीलामी प्रकिया के माध्यम से आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दोरान निर्णय लिया गयाकि उच्च आय वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत निर्मित भवनो हेतु समस्त प्राप्त आवेदनो को पारदर्शिता के आधार पर लाटरी के माध्यम से आवंटित किया जाये।

विषय कमांकः 11 मानिचत्र संख्या सी–0003/08–09 सम्पत्ति संख्या 6, कास रोड **की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आवेदक बोर्ड के समक्ष पक्ष रखने हेतु उपस्थित थे। वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग वर्तमान लागू महायोजना 2025 में स्थानीय बस स्टैण्ड/पार्किग/ठेला स्टैण्ड हेतु प्रदर्शित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र कार्यालय हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपाध्यक्ष द्वारा यह अवगत कराया गया कि श्री आहूजा का प्रस्ताव प्राधिकरण की पूर्व बोर्ड बैठको से लम्बित था तत्समय प्रश्नगत भूखण्ड का भू–उपयोग आवासीय था। तत्समय प्रचलित महायोजना 1982–2001 के जोनिंग रेगुलेशन में आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य थी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि चूंकि प्रस्ताव वर्तमान महायोजना लागू होने से पूर्व से लम्बित है अतएव स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

अन्य बिन्दुः मानचित्र संख्या सी 053/08–09/5–बी डी0एच0प्रा0लि0 राजपुर **रोड जाखन के मानचित्र के सम्बन्ध में।**

विचार विमर्श के दौरान बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानचित्र पर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देश दिये गये कि मानचित्र के सभी तकनीकी पहलुओ का परीक्षण भवन उपविधियों एवं महायोजना के परिप्रेक्ष्य में करते हुए वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की जाये एवं तदुनसार बोर्ड की आगामी बैठक मे अवगत कराया जाये।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
उपाध्यक्ष,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
आयुक्त/अध्यक्ष